भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – 498

दिनांक 27.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध

***498 श्री एम. के. राघवनः**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निपाह वायरस संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए केरल और पश्चिम बंगाल से सऊदी अरब को कृषि उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक उठाए गए उपचारात्मक कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने महामारी की वर्तमान स्थिति, जिसमें हाल ही में निपाह वायरस के फैलने का कोई संकेत नहीं मिलता, को आधिकारिक तौर पर सूचित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सऊदी अधिकारियों के साथ अद्यतन स्वास्थ्य और फाइटोसैनिटरी प्रमाणन संबंधी नवीनतम आंकड़े साझा किए गए हैं, जिनसे इन प्रतिबंधों को हटाने में सहायता मिल सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध" के संबंध में दिनांक 27.03.2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 498 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

जी हां, सरकार ने निपाह वायरस की चिंताओं के मद्देनजर, केरल और पश्चिम बंगाल से कुछ कृषि उत्पादों के आयात पर सऊदी अरब द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों के संबंध में कदम उठाए हैं।

सऊदी अरब के शाही दूतावास द्वारा भारत सरकार को इन प्रतिबंधों से अवगत कराने के बाद, रियाद स्थित भारतीय मिशन ने औपचारिक रूप से सऊदी अरब अधिराज्य की सरकार के साथ प्रतिबंध हटाने का मामला उठाया है। सऊदी अरब के प्राधिकारियों को अवगत कराया गया है कि जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल में केवल दो ही मामलों में प्रयोगशाला से निपाह मामले की पुष्टि हुई है और दोनों ही मामले एक ही स्थान में स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़े हैं और सामुदायिक संक्रमण का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। व्यावसायिक रूप से कारोबार में शामिल किए जाने वाले फलों या कृषि वस्तुओं के संबंध में मानक कटाई के बाद की हैंडलिंग, वॉशिंग, छंटाई और फाइटो सैनिटरी निरीक्षण प्रक्रियाओं से निपाह संचरण का कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है। भारतीय कृषि निर्यात सख्त फाइटो सैनिटरी और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं जो जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करते हैं।

मंत्रालय सऊदी अरब के प्राधिकारियों की ओर से किसी भी अतिरिक्त प्रश्नों और स्पष्टीकरणों का जवाब देने के लिए भारत सरकार के संबंधित विभागों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर रहा है।
